

न्यायालय
धीनरी रंग कुमारी
13-10-12

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 469/2017

धारा 107 द.प्र.स.

on Line Entry

20.3.17

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र पर की गई कारवाई

शंकर चौधरी बनाम अमिषेक कुमार
लोरापोरर थाना अप्राथमिकी सं० 11/17

4.5.17

प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी
स० अ०नि०/अ०नि० लोरापोरर ने जाँच कर अपना
प्रतिवेदन थाना प्रभारी लोरापोरर थाना एवं
अ० निरी० लोरापोरर ने अग्रसारित किया

19.5.17

30/5/17

है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच आपस में मार
पीट करने को

8/6/17

20/6/17

6.7.17

20/7/17

3/8/17

22-8-17

5/9/17

15/9/17

4/10/17

13/10/17

2/11/17

16/11/17

29/11/17

18/12/17

1/1/18

लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 13.4.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

18/12/17

प्रथम पत्र 311 की जाती है एवं 115 का अंकित
है जिससे किना जाता है

द्वितीय पत्र की शीट है 115 का अंकित है जिससे
किना जाता है

प्रथम पत्र द्वारा दीपणा की गई है और
तायम के लया वाड कायवाधर लेने के
कारण वाड की कार्यवाही न्यायिक एवं
कार्यिक में समाप्त की जाती है

for
18/12/17

य अनु
मो पी